

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (चूरु)
पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 236/2024


दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :- 24/02/2025
अनुवान देवीलाल बनाम राजस्थान सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार भानीपुरा की अनुशंषा के पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 के अनुसरण में ग्राम बिल्यू बास डूमाणी एवं बोघेरा तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत -79 में खाता संख्या नया क्रमशः 24 एवं 200 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 24/2/25 को नुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया त रहेगी।


ग्राम	खाता संख्या नया	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
बिल्यू बास डूमाणी	24	देबाराम पुत्र चंदगीराम उर्फ चंदूराम निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील भानीपुरा जिला चूरु	देवीलाल पुत्र चंदगीराम उर्फ चंदूराम निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील भानीपुरा जिला चूरु
बोघेरा	200	देबाराम पुत्र चंदगीराम उर्फ चंदूराम निवासी ईशरवाल तहसील भिवानी जिला हिसार	देवीलाल पुत्र चंदगीराम उर्फ चंदूराम निवासी बिल्यू बास रामपुरा तहसील भानीपुरा जिला चूरु


दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय (चूरु)
सरदारशहर (चूरु)

पि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

तहसीलदार भानीपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।

प्रार्थी श्री/श्रीमती


दिव्या (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय (चूरु)
सरदारशहर (चूरु)

